in service at any point of time in the Department including retired personnel are leading Unions in regional JCM, Departmental councils of Employees Unions of Communications Ministry ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

निर्माण कार्य संबंधी मजदूरों के लिए राष्ट्रीय नीति

1338. **श्री राम नरेश यादव** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्माण कार्य सम्बन्धी मजदूरों के लिये राष्ट्रीय नीति तैयार करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक तैयार कर लिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इन मजदूरों के उत्थान के लिये किस वैकल्पिक योजना पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण कर्मकारों के नियोजन तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एवं उनके स्वास्थ्य और कल्याण उपायों तथा तत्सम्बन्धी अन्य मामलों में सुरक्षा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय विधान बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श प्रगति पर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगार

1339. **श्रीमती सत्य बहिन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार स्नातकों, स्नातकोत्तरों और तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों की क्रमवार तथा राज्यवार कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) सरकार उन्हें कब तक रोजगार प्रदान करेगी और इस सम्बन्ध में सरकार की योजनाएं क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध) देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले अनुसूचित जाति के स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त रोजगार चाहने वालों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है (**नीचे देखिए**) राज्य स्तर पर क्रमवार आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया जाता।

(ख) आठवीं योजना में चालू तथा अगली योजनावधि के दौरान रोजगारोन्मुख विकास नीति के आधार पर वर्ष 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त करने के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति के स्नातकों, स्नातकोत्तरों, तथा तकनीकी शिक्षा वाले व्यक्तियों के रोजगार शामिल हैं, के लिये पर्याप्त रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। सैक्टरों, सब सैक्टरों एवं उच्च रोजगार संभावना वाले क्षेत्रों तथा विविध विशेष रोजगार कार्यालयों के विकास को प्रोत्साहित करते हुए इसे प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।